न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–515/2015 (2015/00221)223/नसीराबाद

1. **बुधमल पुत्र हरजी जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।**

अपीलांट

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय दिनांक 03.07.2015, वाद संख्या 20/2012 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

उपस्थितः–

8. श्री हीरालाल माली एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
9. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के वाद संख्या 20/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 6429 रकबा 05–04–00 बीघा के हाल खसरा नम्बर 8684 रकबा 0.84 है0 वाकै ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा वादी की खातेदारी की जमीन है जिसमें वादी काबिज काश्त हैं। वर्किंग जमाबंदी मे नामान्तकरण संख्या 717 दिनांक 08.12.1966 को हरजी पुत्र बालू जाति माली के खसरा नम्बर 6428 रकबा 3 बीघा इन्द्राज स्वीकार हुआ तथा नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 02.12.2001 के खसरा नमबर 6429 रकबा 3 बीघा पर हरजी वादी के पिता का गैर खातेदार से खातेदारी स्वीकार हुई एवं नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 30.04.2003 से खसरा नम्बर 6429 रकबा 2 बीघ 4 बिस्वा पर वादी के पिता हरजी पुत्र बालू जाति माली के नाम खातेदारी इन्द्राज हुई इस प्रकार वादी के पिता के नाम कुल 5 बीघा 4 बिस्वा इन्द्राज स्वीकार हुई किन्तु हाल जमाबंदी सम्वत 2059 से 2078 में राजस्व अधिकारियों एवं बदोबस्त विभाग द्वारा मौके एवं रिकार्ड की अनदेखी करते हुए आधार जमाबंदी बनाते समय उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि वादी वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन की जावें तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलबी हेतु एवं मौका रिपोर्ट हेतु नियत था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.07.2015 को बिना अपीलार्थी की मौजूदगी में एवं बिना सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.07.2015 को वाद निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजीयात में आधार जमाबंदी सम्वत 2059–2078 में वादी का नाम हटाकर सिवायचक अंकित कर दिया जबकि पूर्व में विवादित आराजी अपीलांट के पिता हरजी पुत्री बालू जाति माली के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज थी तथा आधार जमाबंदी में भी वादी के नाम उक्त राजस्व रेकार्ड में अंकित होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना रिकार्ड व मौके की जॉच किए ही बिना ही उक्त भूमि को काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी गई। राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग को कोई कानूनी अधिकार नही था । उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार वाद पत्र का विधि अनुसार जरिये सम्मन जारी करने, जवाब दावा उपरान्त वाद पत्र में विवादित बिन्दु कायम किये जाकर तत्पश्चात पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर ही वाद पत्र का निर्णय किया जा सकता था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थी के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई तथा ना ही विवादित भूमि के संदर्भ में जमाबंदी, राजस्व नक्शा, गिरदावरियॉ, वर्किग जमाबंदी प्रदर्शित की गई। ऐसी अवस्था में दस्तावेज जो कि वाद–पत्र से सम्बन्धित है कि के बिना प्रदर्शित पढ़ा ही नहीं जा सकता तथा वादीगण/अपीलार्थी को बिना किसी जानकारी के वादीगण का वाद निरस्त किया जाना तथा कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर न्यायिक शक्तियों का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को बिना किसी सूचना के बिना वादी/अपीलार्थी की जानकारी के एवं बिना नोटिस तामिल करवायें ही निर्णय पारित किया गये हैं जिसकी जानकारी दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त हुई तथा अपीलार्थी कृषक एवं ग्रामिण व्यक्ति हैं। जानकारी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद अवधि में मानते हुए सुनवाई किया जाना न्यायाचित हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी को वास्ते साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया हैं अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील का निर्णय करना उचित समझते है वादग्रस्त आराजीयात वर्किग जमाबंदी से पूर्व वादी के पिता हरजी पुत्र बालू जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 6429 के नवीन खसरा नम्बर 8684 बनाते समय राजस्व रिकार्ड की स्थिति को परिवर्तित कर दिया गया। उक्त इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद कैम्प कोर्ट रामसर में नियत कर बिना अपीलांट/वादी को सूचित किये एवं बिना नोटिस जारी किये तथा प्रकरण में आदेश 18 एवं 20 जा.दी. के प्रावधानों की पालना होने से पूर्व ही पत्रावली कैम्प कोर्ट रामसर में वाद पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा अपीलांट/वादी का साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2015 निरस्त योग्य हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे अपीलांट/वादी को अपने पक्ष में रेकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य व सुनवाई कर तनकीयात कायम कर पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 03.07.2015 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी को अपने पक्ष में रिकार्ड एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए बाद साक्ष्य, सुनवाई कर बाद तनकीयात कायमय कर पुनः निर्णिय पारित करें। अपील फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर